

**ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE
SRI VIJAYA PURAM**

PUBLIC NOTICE

Enrolment under AB-PMJAY Non-SECC Scheme and Ayushman Vay Vandana Scheme

The Directorate of Social Welfare, Andaman and Nicobar Administration, hereby informs all eligible beneficiaries that enrolment and Ayushman Card generation under the Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) Non-SECC Scheme and Ayushman Vay Vandana Scheme (VVS) are being facilitated for availing cashless healthcare benefits, as per the applicable guidelines.

1. AB-PMJAY Non-SECC Scheme

Retired Government servants of the Andaman and Nicobar Administration and their eligible dependents are covered under the AB-PMJAY Non-SECC Scheme, irrespective of their income status, subject to the applicable guidelines.

2. Ayushman Vay Vandana Scheme

All senior citizens aged 70 years and above are eligible for coverage under the Ayushman Vay Vandana Scheme, irrespective of their socio-economic status, subject to the applicable guidelines.

3. How to Generate Ayushman Card

Eligible senior citizens may generate their Ayushman Card through the Ayushman App or by visiting the nearest Common Service Centre (CSC) or Government Health Institution, with assistance from ANMs/CHOs, wherever required. Retired Government servants/pensioners of the Andaman and Nicobar Administration may also avail assistance for Ayushman Card generation from the PMJAY Help Desk/Counter at G.B. Pant Hospital, Sri Vijaya Puram.

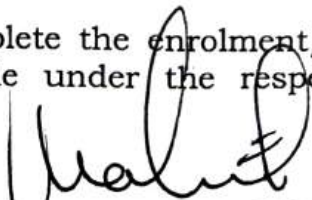
4. Assistance

For assistance or clarification regarding enrolment and Ayushman Card generation, beneficiaries may contact:

1. State Health Agency, A&N Islands
Contact No.: 03192-214763
Office Hours: 09:00 AM to 05:00 PM
2. Pan- India Helpline for Senior Citizens
Help Line No: 14567
Office Hours : 08: AM to 08:00 PM

All eligible beneficiaries are requested to complete the enrolment/card generation process and avail the benefits available under the respective schemes.

Issued in public interest.


Director (Social Welfare)
A & N Administration
Sri Vijaya Puram

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन
समाज कल्याण निदेशालय
श्री विजय पुरम

सार्वजनिक सूचना

AB-PMJAY गैर-SECC योजना एवं आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत नामांकन

समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) गैर-SECC योजना तथा आयुष्मान वय वंदना योजना (VVS) के अंतर्गत नामांकन एवं आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि पात्र लाभार्थी लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

1. AB-PMJAY गैर-SECC योजना

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी एवं उनके पात्र आश्रित AB-PMJAY गैर-SECC योजना के अंतर्गत, उनकी आय की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, लागू दिशा-निर्देशों के अधीन आच्छादित हैं।

2. आयुष्मान वय वंदना योजना

70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, लागू दिशा-निर्देशों के अधीन आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं।

3. आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं

पात्र वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान ऐप के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं अथवा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आवश्यकता होने पर एएनएम/सीएचओ द्वारा भी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी जी.बी. पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम स्थित PMJAY हेल्प डेस्क/काउंटर से भी आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

4. सहायता

नामांकन एवं आयुष्मान कार्ड बनाने से संबंधित किसी भी सहायता अथवा स्पष्टीकरण के लिए लाभार्थी निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:

1. राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

संपर्क नंबर: 03192-214763

कार्यालय समय: प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

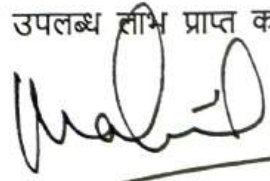
2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन

हेल्पलाइन नंबर: 14567

कार्यालय समय: प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक

सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे संबंधित योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने हेतु नामांकन/आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करें।

जनहित में जारी।


निदेशक (समाज कल्याण)
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन